# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–

प्रथम अपील संख्या 27/2023

एडवोकेट ब्रह्मप्रकाश यादव पुत्र श्री रामेश्वर लाल यादव, निवासी एस–18, 19, शिवाड एरिया, कृष्णा मार्ग, बापूनग

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

## आदेश

**दिनांक**

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना अधिनियम के तहत दिनांक 24.01.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील 27/2023 पर दिनांक 24.01.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सू ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवे सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना
3. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/20 दिनांक 25.01.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 ) /23/141 दिनांक 07.02.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी एडवोके यादव पुत्र श्री रामेश्वर लाल यादव, निवासी एस–18, 19, शिवाड एरिया, कृष्णा मार्ग, बापूनग आवेदन 13.12.2022 को कार्यालय मे प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू0अ0/09/528 दिनांक 23.12.2022 के अधिकारी, खेतडी एवं खनिज अभियन्ता, झुंझुनूं को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र भिज अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 )न्याय/सू0अ0/23/141 दिनांक 07.02.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया एडवोकेट ब्रह्मप्रकाश यादव पुत्र श्री रामेश्वर लाल यादव, निवासी एस–18, 19, शिवाड एरिय बापूनगर, जयपुर का आवेदन 1[illegible] को कार्यालय मे प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा च सूचना के संबंध मे कार्यालय के पत्र कमांक एफ [illegible] )न्याय/सू0अ0/09/528 दिनां के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, खेत[illegible] को सूचना उपलब्ध करवाये भिजवाया गया है। चूंकि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही[illegible] गई है। अतः अपीलार्थी का अपी स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, खेतडी एवं खनिज अभियन्ता, झुंझुनूं को [illegible] दि प्रार्थी को अपने कार्यालय से संबंधित सूचना 7 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध कराना सु[illegible] क
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 09.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( एल0एस0क

जिला कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.14 16:11:23 IST
Reason: SelfAttested